भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2263
08 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का कार्यान्वयन

2263 श्रीमती धर्मशीला गुप्ताः
श्रीमती किरण चौधरी:
श्री सुभाष बरालाः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री बृज लालः
श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बाराः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसको संभव बनाने हेतु की गई प्रमुख पहलों तथा इन पहलों के परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत आच्छादित किसानों की संख्या में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2022 से किसानों द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की कुल राशि कितनी है, और इस अवधि के दौरान मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या और उन्हें वितरित की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं की तुलना में कोई प्रमुख सुधार किए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी हां। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसान आवेदनों/जारी नीतियों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी योजना है।

(ख) सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के साथ किसान आवेदनों का कवरेज बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता लाने, दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने सहित निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण को अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा

राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** का विकास किया है।

- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ समेकित किया गया है ताकि सभी दावों की समय पर और पारदर्शी प्रोसेसिंग सुनिश्चित किया जा सके।

- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग करने की योजना का कार्यान्वयन किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से के अनुरूप दावे मिल सकें।

- योजना के उपबंधों के अनुसार, खरीफ 2025 सीजन से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए संबंधित ESCROW खाता खोलना अनिवार्य किया गया है।

- इस योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में भी, किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए **CCE-Agri App** के माध्यम से उपज डाटा/फसल कटाई परीक्षण (CCE) डाटा एकत्र करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन की निगरानी करने की अनुमति प्रदान करना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

- बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में देरी पर 12% अर्थदंड का प्रावधान है जो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर स्वतः गणना किया जाता है।

- सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की प्रमुख विशेषताओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्यों, कार्यान्वयन बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क द्वारा किए जा रहे जागरूकता कार्याकलापों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है।

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 सीज़न से ही एक सुनियोजित जागरूकता अभियान 'क्रॉप इंश्योरेंस वीक/फसल बीमा सप्ताह' प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही साथ, इस योजना कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों का ज्ञान बढ़ाने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाएं' भी आयोजित की जा रही हैं।

- सरकार ने देशव्यापी घर-घर फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण महा अभियान - 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' का आयोजन भी किया था। ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से पीएमएफबीवाई के अंतर्गत नामांकित किसानों को फसल बीमा पॉलिसी रसीदों की हार्ड कॉपी वितरित की जाती है।

योजना के अंतर्गत हाल ही में वर्ष 2023-24 से फसल क्षति और नुकसान के उद्देश्यपूर्ण आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित तकनीकों को भी लागू किया गया है।

i. **यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** का क्रमिक स्थानांतरण रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में करने से उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और परिशुद्ध फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। खरीफ 2024 सीजन से सोयाबीन की फसल शामिल की गई है।

ii. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** जीपी और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डाटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से पांच गुना के बराबर स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और स्वचालित वर्षा- मापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय में अंतरसंचालनीयता और डाटा साझा करने सहित एक राष्ट्रीय डाटाबेस में फीड किया जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए डाटा प्रदान करता है, बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए भी डाटा उपलब्ध कराता है।

सरकार द्वारा की गई उपर्युक्त पहलों के कारण, इस योजना के अंतर्गत नामांकित किसान आवेदनों की संख्या वर्ष 2016-17 में 586 लाख से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1,510 लाख हो गई है।

(ग) PMFBY के अंतर्गत किसानों द्वारा दिए गए प्रीमियम, दावा प्राप्त करने वाले किसान आवेदनों की संख्या तथा वर्ष 2022-23 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान भुगतान किए गए दावों की कुल राशि का विवरण दिनांक 30.06.2025 तक नीचे दिया गया है:

वर्ष	**किसानों का हिस्सा प्रीमियम में (रुपये करोड़ में)**	**भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)**	**किसान आवेदन लाभार्थी (संख्या में)**
2022-23	3,957	19,755	3,32,24,377
2023-24	3,203	19,663	3,64,08,725
2024-25 (खरीफ 2024 तक)	1,893	5,775	1,89,75,498
कुल	**9,053**	**45,193**	**8,86,08,600**

(घ) और (ङ) पिछली फसल बीमा योजनाओं से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताओं की तुलना निम्नलिखित अनुसार है:

विशेषताएं	**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना/पूर्ववर्ती बीमा योजनाएं**	**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)**
जोखिम अंतरण	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में **100** प्रतिशत से अधिक नुकसान की स्थिति में दावा भुगतान राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती थी। समय पर बजट उपलब्ध न होने के कारण दावों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता था।	बीमा कंपनी को संपूर्ण जोखिम वहन करना होगा। किंतु, खरीफ **2023** से**, 80:110** और **60:130** के अनुपात वाली वैकल्पिक जोखिम अंतरण विधियों (**ARTM**) का कार्यान्वयन किया गया है**,** जिसके अनुसार यदि हानि अनुपात **80** या **60%** से कम है**,** तो प्रीमियम का एक अंश

		राज्य सरकार को वापस कर दिया जाता है और **110%** या **130%** से अधिक के दावे सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं।
बीमा यूनिट	पिछली योजना में बीमा यूनिट तहसील/ब्लॉक/जिला स्तर पर थी, जिसके कारण ग्राम पंचायत स्तर पर क्षति होने पर दावा भुगतान अनिश्चित होता था/ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था।	बीमा यूनिट गांव/ग्राम पंचायत को बनाया गया है, जिससे वास्तविक क्षति के आधार पर अधिकतम किसानों को दावा भुगतान मिल सके।
गैर-ऋणी किसानों का कवरेज	पिछली योजना में मुख्यतः ऋणी किसानों का बीमा बैंकों के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाता था, गैर ऋणी किसानों का स्वैच्छिक बीमा नगण्य था।	ऋणी एवं गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए बीमा करवाना स्वैच्छिक है,लिए बीमा करवाना स्वैच्छिक है तथा इस योजना में कुल बीमित किसानों में गैर-ऋणी किसानों की संख्या **55%** है, जो ऋणी किसानों से अधिक है।
स्थानीय आपदा का प्रावधान:	पिछली योजना में, पिछली योजना में स्थानीय आपदा के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिसके कारण एक या उससे कम किसान की फसल नष्ट होने पर उन्हें मुआवजा नहीं मिलता था।	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीय आपदा का भी प्रावधान है, जिसके कारण यदि एक भी किसान की फसल को क्षति होती है तो उसे मुआवजा भुगतान मिलता है।
बीमा कंपनियों की भागीदारी:	पिछली योजना में, पिछली योजना में यह योजना देशभर में केवल एक ही बीमा कंपनी द्वारा कार्यान्वित की गई थी।	कुल 20 बीमा कंपनियों को पैनल में शामिल किया गया है, जिनमें 5 सार्वजनिक और 15 निजी कंपनियां हैं।
प्रौद्योगिकी का उपयोग:	पिछली योजना में, पिछली योजना में फसल की हानि की गणना केवल पारंपरिक तरीके से की जाती थी।	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
